इस वेबसाइट का उद्देश्य गृह मंत्रालय द्वारा गठित क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के बारे में सूचनाएँ और समीक्षात्मक टिपण्णियाँ एकत्र कर प्रसारित करना है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी का मुख्य उद्देश्य अस्पष्ट है, पर यह जरूर स्पष्ट है कि कमिटी क्रिमिनल लॉ में व्यापक और दूरगामी बदलावों के सुझाव देने का उद्देश्य रखती है। यह बदलाव भारत के हर उस व्यक्ति को संजीदा रूप से प्रभावित करेंगे जो किसी भी रूप में क्रिमिनल लॉ के संपर्क में आते हैं, चाहे पीड़ित के रूप में, या अभियुक्त के रूप में या सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो एक न्याय संगत और शांतिपूर्ण समाज में रहना चाहते हो।

क्रिमिनल लॉ हर व्यक्ति को अलग-अलग रूप से प्रभावित करता है। धर्म आधारित अल्पसंख्यक समूह, गरीब, दलित और आदिवासी समुदाय, पुलिस हिंसा, लम्बे समय तक ट्रायल के दौरान कैद, कठोर सजाओं, और कमजोर लीगल सेवाओं के चलते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ज्यादतियों को अधिक झेलते हैं। महिलाऐं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, और सेक्सुअल अल्पसंख्यक समूह जो अधिकांशत: जेंडर आधारित हिंसा को झेलते हैं, वे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हाथों निराशा ही पाते हैं। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म के हम सब पर और खास कर हाशिये पर धकेले हुए समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए यह बेहद जरूरी है कि हम समझे कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी द्वारा क्या किया जा रहा है। इस वेबसाइट का उद्देश्य है कि हम रिफॉर्म की इस प्रक्रिया के दोषों को समझे।

इस पेज पर हम कमिटी के संयोजन और उसकी कार्यप्रणाली/कार्यपद्धति पर आपत्तियों और विरोधों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। हमारी चिंताएँ मुख्यत: कमिटी में विभिन्न समूहों के प्रतिनिधित्व की कमी, सबको न शामिल करने वाले तरीके, कार्यप्रणाली में अपारदर्शिता, पूछे गए सवालों का प्रारूप, और कार्य पूरा करने के लिए दी गयी सीमित समय सीमा है। हमारा प्रयास है कि हम अपनी चिंताओं और आपत्तियों को सभी के लिए उपलब्ध कराए चाहे उनके पास लीगल ट्रेनिंग हो या न हो। हमारा उद्देश्य है कि हम इस बात पर जोर दे कि इस क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी की कार्यप्रणाली हम सभी से जुड़ा मुद्दा है, लोक हित का मुद्दा है और हम सभी को इसके सम्बन्ध में सजग होना चाहिए।

हालांकि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी के घोषित उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों के आधार पर रिफॉर्म, और व्यक्तियों, समुदायों, और देश की सुरक्षा और बचाव की बात करते है, परन्तु सारी प्रक्रिया एक बेहद मुश्किल समय के दौरान की जा रही है। देश की जनता वैश्विक महामारी कोविड -19 से जूझ रही है। और सरकार पहले से ही इस दौरान नागरिकों के पर्यावरण सम्बन्धी, लेबर और लैंड सम्बन्धी अधिकारों पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव डालने वाले 'रिफार्म' प्रस्तावित कर चुकी है। सरकार पहले से ही कुछ बेहद कठोर कानूनों (नॅशनल सेक्यूरिटी आक्ट (एन.एस.ए.) 1980, अनलॉफुल एक्टिविटीस (प्रेवेन्षन) एक्ट (यू.ए.पी.ए)

1967) का प्रयोग पक्षपाती रूप में विद्यार्थियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों आदि के विरुद्ध कर रही हैं।

इस पृष्ठभूमि में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि एक कमिटी जो क्रिमिनल लॉ के विभिन्न मुद्दों में व्यापक बदलाव लाने के आदेश के तहत काम कर रही है, वह पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें ताकि न्याय और निष्पक्षता ने मूल्यों को बनाए रखा जा सके। हालाँकि क्रिमिनल लॉ के विभिन्न हिस्सों में रिफॉर्म की आवश्यकता है परन्तु निम्नलिखित कमियों के चलते यह संभव नहीं है कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगी-

अपारदर्शिता

1. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के गठन के समय से कमिटी के 'terms of reference' को सार्वजनिक नहीं किया गया है। 'terms of reference' कमिटी की कार्यप्रणाली और उसके सुझावों के सन्दर्भ में एक रूपरेखा देते हैं और कमिटी क्या करने या न करने का अधिकार रखती है इसकी सूचना देते हैं।

2. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी ने कंसल्टेशन की प्रक्रिया के दौरान मिले सुझावों को भी सार्वजनिक नहीं किया है। सुझावों को सार्वजनिक करना किसी भी तरह की तोड़-मरोड़, गलत उद्धरण से बचाता है।

समयसीमा

1. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी कोविड -19 वैश्विक महामारी के बीच में स्थापित की गई थी। इस लेख के लिखने के समय, भारत में कोरोनो वायरस के मामले, दुनिया के किसी भी अन्य देश (संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील को छोड़कर) से अधिक है। भारतीय नागरिक इस स्थिति के कई नकारात्मक प्रभावों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव और बेरोजगारी की बढ़ती दर भी शामिल हैं। इस समय में जनता की गहराई से भागीदारी की उम्मीद करना संभव नहीं है।

2. वेबसाइट के अनुसार, कमिटी का उद्देश्य आपराधिक कानूनों में सुधारों की सिफारिश करना है, जिसमें मूल (substantial law), साक्ष्य (evidentiary law) और प्रक्रियात्मक (procedural law) कानून शामिल हैं। तीनों ही कानून अपने-आप में बहुत विस्तृत मुद्दों को शामिल करते हैं।

उदाहरण के लिए, मूल आपराधिक कानूनों (substantial laws) की श्रेणी में निम्नलिखित मुद्दे शामिल है- कैसे अपराधों को परिभाषित किया जाना

चाहिए; किस आचरण को आपराधिक माना जाना चाहिए; कब किसी को अपराध करने के इरादे के बिना दंडित किया जा सकता है; किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति अपराध करने के प्रयास के लिए उत्तरदायी बन सकता है; जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो राज्य को कैसे जवाब देना चाहिए; कब अपराध के सभी तत्वों के मौजूद होने के बावजूद प्रतिवादी को बरी किया जाना चाहिए; भारतीय दंड संहिता 1860 (आई.पी.सी) के तहत कौन सी परिभाषाएँ संशोधित की जानी चाहिए; कब निष्क्रियता को दंडित किया जाना चाहिए; आईपीसी के तहत अपराधों को कैसे वर्गीकृत किया जाना चाहिए और 'इस तरह के कोई भी अन्य सुधार' जो आवश्यक समझे जाए।

और यह क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी की तीन श्रेणियों में से एक है, जिसकी कमिटी द्वारा छह प्रश्नावली की श्रृंखला के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। 4 जुलाई 2020 से 9 अक्टूबर 2020 तक, लगभग तीन महीनों में पूरे कंसल्टेशन का समापन किया जाना है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी ने छह प्रश्नावली के जवाब प्रस्तुत करने के लिए ओवरलैपिंग समय-सीमा निर्धारित की है, जिसमें सभी में 300 से अधिक प्रश्नों के होने की संभावना है। यह न तो यथार्थवादी है और न ही वांछनीय है कि इतने कम समय में संपूर्ण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक साथ पुनरावलोकन किया जाए। सामान्य परिस्थितियों में भी, नागरिकों के लिए इन व्यापक परिवर्तनों पर तीन महीनों के भीतर परामर्श करना मुश्किल होगा। एक महामारी के दौरान, यह लगभग असंभव है। तुलनात्मक रूप से क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म संबंधित आखिरी कमिटी, मालिमथ कमिटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में ढाई साल लग गए थे।

प्रश्नावली

1. प्रश्नावली व्यापक हैं। उदाहरण के लिए, छह प्रश्नावलियों में से पहली में 46 प्रश्न शामिल हैं। फिर भी, कमिटी द्वारा प्रश्नावली में चिन्हित क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता या संदर्भ पर कोई मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया है। किस आधार पर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी ने निर्णय लिया है कि कानून के इन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है?

2. प्रश्नावली खराब तरीके से उद्धरित हैं। अर्थ या तो अस्पष्ट या समझ से बाहर है। साथ ही कुछ सवाल निराधार अनुमानों पर आधारित हैं। प्रश्नावली में उपयोग की जाने वाली भाषा निश्चित रूप से उन लोगों के लिए सुलभ नहीं है जिनके पास कानूनी शिक्षा का लाभ नहीं है। निम्नलिखित उदाहरण इन बिंदुओं को समझाने में मदद करेंगे-

समिति की प्रश्नावली में दोषों का एक चित्रण: स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ('Strict Liability')

जारी किए गए पहले प्रश्नावली में से एक प्रश्न है कि, 'भारतीय दंड संहिता 1860 (आईपीसी) के अंतगर्त अपराध की वस्तु और प्रकृति के बारे में कौन से सिद्धांत स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपराधों की शुरूआत का मार्गदर्शन करते हैं?' कानूनी समुदाय के बाहर के कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' का विचार क्या है। न ही क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी इस बात का कोई संकेत देती है कि वह 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' को कैसे समझती है।

इसे थोड़ा समझने के लिए: आमतौर पर, किसी कृत्य को केवल तभी अपराध माना जाता है जब प्रतिवादी जानबूझकर उस कार्य को अंजाम देता है, या किसी निषिद्ध कार्य को करने का इरादा रखता है। मोटे तौर पर, 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' अपराध वे हैं जहां कार्य को करने वाले व्यक्ति का इरादा अप्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई चेक बाउंस होता है, तो चेक जारी करने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए बरी नहीं किया जाता है कि उसने चेक का अनादर करने का इरादा नहीं किया था। इसी तरह, ओवरस्पीडिंग करने वाले व्यक्ति को कानूनी प्रतिबंधों से केवल इसलिए छूट नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने गति के अनुमति सीमा से अधिक ड्राइव करने का इरादा नहीं किया था।

पर न ही विशेषज्ञों की बीच और न ही कानून में कोई साफ़ परिभाषा है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की अवधारणा की सीमाएं क्या हैं। यदि एक प्रतिवादी अपराध X को जानबूझकर करने के बजाय लापरवाही से करता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि यह एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपराध है। अन्य लोग कहेंगे कि कानून स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को केवल तब लागू करता है, जब कोई प्रतिवादी दोषपूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा था। विचार के इस धारा के अनुसार, एक लापरवाह प्रतिवादी दोषपूर्ण तरीके से कार्य करता है, इसलिए हम X अपराध को एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूप में नहीं देख सकते हैं।

इस बिंदु पर बिना यह जाने कि कमिटी 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' को कैसे समझती है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी को कोई भी सुझाव दे पाना असंभव है। इसके अलावा, यह प्रश्न इस धारणा पर आगे बढ़ता है कि 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य हैं और फिर प्रतिक्रिया माँगता है कि कब/क्यों 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' को लागू किया जाना चाहिए। 'स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी' के गंभीर नतीजों को देखते हुए (जब आपको कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं होने पर भी दोषी ठहराया जा सकता है) - यह गहरी चिंता का विषय है। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी की वेबसाइट पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि आईपीसी

में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अपराधों की अनुपस्थिति को एक प्रॉब्लम मानने के लिए क्या रिसर्च किया गया।

3. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी ने क्रमानुसार में प्रश्नावली जारी करने की योजना बनाई है, पहले मूल (Substance) के साथ, फिर प्रक्रिया (procedure) के साथ और फिर अंत में साक्ष्य (evidence) के साथ। यह व्यावहारिक तरीका नहीं है क्योंकि ये तीनों मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। मोटे तौर पर, मूल आपराधिक कानून (substantial law) बताता है कि अपराध क्या है। प्रक्रियात्मक (procedural law) और प्रमाणिक कानून (evidentiary law) यह बताते हैं कि अदालत में अपराध कैसे साबित होता है। हम नए अपराधों को जोड़ने या मौजूदा अपराधों के संशोधन का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन केवल इस शर्त पर कि निष्पक्षता की गारंटी देने वाले प्रक्रियात्मक (procedural) और प्रमाणिक (evidentiary) सुरक्षा उपायों (safeguards) का सम्मान किया जाए। मूल आपराधिक कानून (substantial law), प्रक्रियात्मक (procedural law) और प्रमाणिक कानून (evidentiary law) के बारे में एक-दूसरे से अलग-अलग सुझाव देना संभव नहीं है।

प्रक्रिया

1. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के बारे में जानकारी मुख्य रूप से इसकी वेबसाइट पर दी गई है। कमिटी के कंसल्टेशन की प्रक्रिया में भागीदारी इन ऑनलाइन संसाधनों, उनके संचालन और अंग्रेजी भाषा की समझ पर निर्भर करती है। देश में इंटरनेट उपलब्धता और उसकी जानकारी की कमी और भाषाओं की बाहुल्यता को देखते हुए कमिटी की ये प्रक्रियाएँ सबको शामिल न करने वाली (exclusionary) साबित होती है। इस महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं तक न पहुँच पाने के कारण भारतीय छात्रों की आत्महत्या की रिपोर्टें शायद इस वास्तविकता को याद दिलाने वाली सबसे दुःखद घटनाओं में से है।

समिति का गठन

1. क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी में केवल 5 सदस्य हैं जिनमें से सभी के पास पूर्णकालिक नौकरी है। यह देखते हुए कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के संचालन कि

समय सीमा कितनी कम है, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी के लिए पूर्णकालिक सदस्यों के बिना सक्षम और लोकतांत्रिक तरीकों रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करना संभव नहीं है।

2. नस्लीय, लैंगिक , धार्मिक या जाति के अल्पसंख्यकों का क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं प्रतीत होता है। जहाँ तक हमें पता है, श्रमिक वर्ग या विकलांग समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उपर्युक्त वर्गों के अतिरिक्त, उत्तर भारत के सीमित भौगोलिक क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का कमिटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। नागरिक समाज संगठनों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है जो इन समूहों के साथ जमीन से जुड़ कर काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश अक्सर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं और कम संरक्षित होते हैं। जो लोग आपराधिक कानून से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक वैधता के लिए, प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुधार प्रक्रिया सार्थक और प्रभावी हो।

उदाहरण के लिए, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी विचार कर है कि क्या “ऑनर किलिंग” को आईपीसी के तहत एक विशिष्ट अपराध बनाया जाना चाहिए, और इसे दंडित किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि ऑनर किलिंग आमतौर पर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर सत्ता को बनाए रखने के लिए की जाती है। इस मुद्दे पर उपर्युक्त प्रतिनिधित्व के अभाव में रिफॉर्म लाना वांछित नहीं है।

3. भारतीय विधि आयोग (Law Commission of India) को संविधान एवं कानून के विवादास्पद क्षेत्रों की जांच करने और जनता के साथ व्यापक परामर्श के बाद सुधारों की सिफारिश करने के सटीक उद्देश्य के लिए ही गठित किया गया है। विधि आयोग के संदर्भ के बिना इस पैमाने और महत्व के कार्य को एक तरफा और बाहरी कमिटी को सौंपने का कोई विधिक औचित्य नहीं है।

उपरोक्त आलोचनाओं के आलोक में, यह महत्वपूर्ण है कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमिटी तत्काल प्रभाव से काम करना बंद कर दे। यदि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पेश किए जाने हैं, तो यह एक प्रतिनिधि कमिटी द्वारा पर्याप्त परामर्श, सुसंगत तरीकों, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब कोरोना वायरस महामारी के विनाशकारी प्रभाव समाप्त हो जायें।